No. 14024/2/96-Estt(D).
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Personnel & Training
****

New Delhi-110001.
May 18,1998

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Recruitment of staff through Employment Exchanges.

The undersigned is directed to invite a reference to this Department's Office Memorandum No. 14024/2/77-Estt(D) dt.13.4.1977. These instructions, inter-alia, provide that all vacancies arising under Central Government offices/establishments (Including quasi-Government institutions and statutory organisations) irrespective of the nature and duration (other than those filled through UPSC),are not only to be notified to, but also to be filled through the Employment Exchanges alone and other permissible sources of recruitment can be tapped only if the Employment Exchange concerned issues a Non-availability Certificate. There can be no departure from this recruitment procedure unless a different arrangement in this regard has been previously agreed to in consultation with this Department and the Ministry of Labour (Directorate General, Employment & Training). Similar instructions are also in force requiring vacancies against posts carrying a basic salary of less than Rs. 500/- per month in Central Public Sector Undertakings to be filled only through Employment Exchanges.

2. The Scheme of Employment Exchange Procedure came under the judicial scrutiny of the Supreme Court in the matter of Excise Superintendent, Malkapatnam, Krishan District, Andhra Pradesh v/s. K.B.N.Visweshwara Rao & Ors (1996 (6) SCALE 676). The Supreme Court, inter-alia,directed as follows:-

" It should be mandatory for the requisitioning authority/establishment to intimate the employment exchange and employment exchange should sponsor the names of the candidates to the requisitioning Departments for selection strictly according to seniority and reservation, as per requisition. In addition, the appropriate Department or undertaking or establishment, should call for the names by publication in the newspapers having wider circulation and also display on their office notice boards or announce on radio, television and employment news bulletins

and then consider the cases of all the candidates who have applied."

3. Accordingly, it is clarified that in addition to notifying the vacancies for the relevant categories (excluding those filled through the Union Public Service Commission / the Staff Selection Commission) to the Employment Exchange, the requisitioning authority / establishment may keeping in view administrative / budgetary convenience, arrange for the publication of the recruitment notice for such categories in the "Employment News" published by the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Goverment of India and then consider the cases of all the canidates who have applied. In addition to the above, such recruitment notices should be displayed on the office notice boards also for wider publicity.

4. These orders will take effect from the date of issue and will not apply to such cases where process of recruitment through employment exchanges / open advertisement has been initiated before the said date.

5. All Ministries / Departments are requested to strictly adhere to the aforesaid instructions and also bring to the notice of their attached and sub-ordinate offices for information and compliance.

(HARINDER SINGH)
JOINT SECRETARY

To:-

All Ministries/Departments of Government of India

Copy to:-

1) The Director General, Employment and Training. Ministry ofr Labour, Rafi Marg, New Delhi.
2) The Burea of Public Enterprises, New Delhi.
3) Lok Sabha Secretariat.
4) Rajya Sabha Secretariat.
5) Union Public Service Commission
6) Staff Selection Commission
7) Chief Secretaries, All State Governments
8) All Union Territory Governments/ Administrations
9) All attached & Subordinate Offices of the Department of Personnel & Training
10) The Editor, Employment News, East Block-IV, Level 5-7,R.K.Puram, New Delhi 110066

संख्या-14024/2/96-स्थापना (घ)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मई 18, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती ।

मुझे, इस विभाग के दिनांक 13.4.1977 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-14024/2/77-स्थापना (घ) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है । इसमें निहित अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कार्य के स्वरूप व अवधि पर ध्यान दिए बिना, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थापनाओं (अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा सांविधिक संगठनों सहित) के अधीन होने वाली सभी रिक्तियां (संघ-लोक-सेवा-आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर) न केवल रोजगार कार्यालय को सूचित करनी होती हैं बल्कि वे केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भरी जानी होती हैं । भर्ती के अन्य अनुज्ञेय स्रोतों की सेवाएं तभी ली जा सकती हैं जब संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए । भर्ती की इस प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया तब तक नहीं अपनाई जा सकती जब तक कि इस विभाग तथा श्रम मंत्रालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) से इस संबंध में परामर्श करते हुए पृथक व्यवस्था किए जाने पर पहले कोई सहमति न हो गई हो । इसी प्रकार के अनुदेश, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 500/-रू0 प्रति माह से कम मूल वेतन वाले पदों की रिक्तियों जिन्हें केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जाना होता है, के संबंध में भी लागू हैं ।

2. उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मल्कापटनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश बनाम के0बी0एन0 विश्वेश्वर राव एवं अन्य (1996(6) एस.सी.ए.एल.ई. 676) के मामले में, रोजगार कार्यालय प्रक्रिया-योजना की उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच-पड़ताल की गई । उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेश दिया:-

> "मांगकर्त्ता प्राधिकरण/संस्थापना के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे रोजगार कार्यालय को सूचित करें तथा रोजगार कार्यालय द्वारा मांगकर्त्ता विभागों को चयन के लिए उम्मीदवारों के नाम मांग के अनुसार पूर्णत: वरिष्ठता एवं आरक्षण के अनुरूप भेजे जाने चाहिए । इसके

...2/-

अतिरिक्त, उपयुक्त विभाग अथवा उपक्रम अथवा संस्थापना को व्यापक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर तथा कार्यालय सूचना पटों पर सूचना प्रदर्शित करके अथवा रेडियो, दूरदर्शन तथा रोज़गार समाचार बुलेटिनों में ऐलान करके नाम मँगाने चाहिए एवं इसके पश्चात् उन सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने आवेदन दिया है ।"

3. तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित श्रेणियों (संघ-लोक-सेवा-आयोग/कर्मचारी-चयन-आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणियों को छोड़कर) की रिक्तियों की सूचना रोज़गार कार्यालय को दिए जाने के अतिरिक्त, मांगकर्त्ता प्राधिकरण /संस्थापना द्वारा प्रशासनिक/बजट संबंधी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित "रोज़गार समाचार" में ऐसी श्रेणियों की भर्ती से संबंधित सूचना प्रकाशित करवाई जाए तथा इसके पश्चात् सभी आवेदकों के मामलों पर विचार किया जाए । उपर्युक्त के अतिरिक्त भर्ती से संबंधित सूचनाएं, व्यापक प्रचार के लिए कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए ।

4. ये आदेश, जारी होने की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे तथा ये ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां भर्ती की प्रक्रिया, रोज़गार कार्यालयों/खुले विज्ञापन के माध्यम से उक्त तारीख़ से पहले शुरू की जा चुकी है ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा सूचना और अनुपालन के लिए इन्हें अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में भी लाएं ।

(हरिन्द्र सिंह)
भारत-सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महानिदेशक, रोज़गार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
2. लोक उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली ।
3. लोक सभा सचिवालय ।
4. राज्य सभा सचिवालय ।
5. संघ-लोक-सेवा-आयोग ।
6. कर्मचारी-चयन-आयोग ।
7. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
8. सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें/प्रशासन ।
9. कार्मिक तथा प्रशिक्षण-विभाग के सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय ।
10. संपादक, रोज़गार समाचार, पूर्वी ब्लॉक-IV,5-7 मंजिल, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली-110066.